न्यायालय में किसी प्रकार कोई वाद लाम्बित नही है, और न ही विचारधीन है। उक्त भूमि सरकार या राज्य सरकार या अन्य सरकारी विभाग के अधिग्रहण की प्रक्रिया में नहीं है, और न ही इस सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त हैं। अतः मुझ विक्रेता ने अपने समस्त विधिक एवं न्याययिक अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा मे बिना किसी दबाव व बहकाव के प्रभावित हुये बिना विक्रय भूमि को मय कुल हक व हकूक मालिकाना काबिजाना, दाखली व खारजी मय अन्य समस्त अधिकार आदि को आज की तारीख में बदले अंकन–1,44,64,350 / –रूपये (एक करोड़ चवालीस लाख चौसठ हजार तीन सौ पचास रूपये) आधे जिसके अंकन–72,32,175 / –रूपये होते हैं, में बदहस्त क्रेता को बय कतई कर दिया यानि बेच दिया है, तथा कुल धनराशि अग्रलिखित विवरण वसूलयाबी के द्वारा प्राप्त कर ली है। विक्रय भूमि के विषय में कोई विक्रय मूल्यधन क्रेता की ओर शेष नहीं रहा है। हम विक्रेता ने क्रेता को विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है। अब क्रेता कम्पनी भूमि उपरोक्त की पूर्णतः मालिक

राजेश्वर

उमेश चन्द

For KW HOMES PVT. LTD.

Auth. Signatory

काबिज व स्वामी हो गयी है, क्रेता को अधिकार है। कि भूमि उपरोक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लाकर लाभ उठावें, विक्रय करें, नक्शा पास करावें, निर्माण करावें, सम्बन्धित विभाग में अपना नाम मालिकाना के तौर पर दर्ज करावें। हम विक्रेता या वारिसान विक्रेता को कोई एतराज करने का अधिकार नहीं होगा। यदि विक्रेता के मालिकाना काबिजाना अधिकारों में किसी त्रुटि के कारण या नामालूम किसी नुक्श के कारण भूमि उपरोक्त का कब्जा क्रेता से निकल जावेगा तो क्रेता को अधिकार होगा, कि वह अपना समस्त रूपया मय हर्जा खर्चा मय सूद कानूनी विक्रेता या वारिसान विक्रेता की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल कर लें। विक्रेता व विक्रेता वारिसान को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। भूमि की सरकारी निर्धारित दर अंकन–11,000/–रूपये प्रति वर्ग मीटर है। परन्तु विक्रेता व क्रेता के मध्य भूमि की तय दर अंकन–15,000/–रूपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से भूमि विक्रय की गयी है। स्टाम्प नियमानुसार अदा किया गया है। विक्रय प्लाट मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से लगभग 200 मीटर से अधिक दूर है, तथा किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रय भूमि की भूमि ग्राम समाज, सिलिंग, वक्फ बोर्ड व पटटे, कुआं, जल स्रोत, चरगाहा, श्मशान आदि की नहीं है। विक्रय भूमि पूर्णतय खाली व कृषि/आवासीय है। कोई निर्माण नहीं है, और कृषि/आवास हेतु क्रय की गयी है। विक्रय भूमि के विषय में पक्षकारान के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा

राजेश्वर

उमेश चन्द

For KW HOMES PVT. LTD.

Auth. Signatory

महायदाबय पंजीकृत नहीं हुआ है। विक्रय भूमि का मानचित्र व फोटो विक्रय पत्र के साथ संलग्न है। जो कि विक्रय पत्र का भाग है। विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। विक्रेता ने उक्त सम्पत्ति की बावत समस्त असल दस्तावेज क्रेता कम्पनी को सौप दिये है। विक्रय पत्र का मसौदा पक्षकारो के द्वारा दिये गये दस्तावेजो के आधार पर तैयार किया गया है। पक्षकारो व गवाहो का फोटो, उनको देखकर प्रमाणित किया गया है।

विवरण वसूलयाबी:-

अंकन–50,000/–रूपये चैक सं0–000229 दिनांक–15/04/2014 व अंकन–50,000/–रूपये चैक सं0–000228 दिनांक–15/04/2014 व अंकन–1,00,000/–रूपये चैक सं0–000230 दिनांक–15/04/2014 व अंकन–1,00,000/–रूपये चैक सं0–000231 दिनांक–15/04/2014 व अंकन–23,60,725/–रूपये चैक सं0–000225 दिनांक–27/03/2015 व अंकन–23,60,725/–रूपये चैक सं0–000224 दिनांक–27/03/2015 व अंकन–47,21,450/–रूपये चैक सं0–000226 दिनांक–27/03/2015 व अंकन–47,21,450/–रूपये चैक सं0–000227 दिनांक–27/03/2015 उक्त सभी चैक कोटेक महेन्द्रा बैंक, शाखा सैक्टर–63, नोएडा, के द्वारा प्राप्त किये। इस प्रकार कुल कीमत प्राप्त कर ली है। बाकी कुछ कीमत शेष नही रही है।

राजेश्वर

उमेश चन्द

For KW HOMES PVT. LTD.

Auth. Signatory

<u>विक्रीत सम्पत्ति का पूरा फोटो (फ्रन्ट साईड)</u>

सम्पत्ति संख्या:–ग्राम सददीकनगर, जिला गाजियाबाद।

राजेश्वर

उमेश चन्द

For KW HOMES PVT. LTD.

Auth. Signatory

SITE PLAN OF PLOT

KH. NO.-866 IN VILLAGE SADDIK NAGAR, PARG. LONI GHAZIABAD

PLOT AREA 806.25 SQM

गवाह–1

अमित कुमार चौधरी पुत्र श्री अजय पाल सिंह
नि0–ग्राम व पोस्ट रजापुर, जिला गाजियाबाद।
DL NO- 15635

गवाह–2

उमेश चन्द निगम पुत्र श्री टीका राम
चैम्बर न0–68, तहसील कम्पाउण्ड,
जिला गाजियाबाद।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय जरूरत पर काम आवे। इति

राजेश्वर
उमेश चन्द

For KW HOMES PVT. LTD.

Auth. Signatory

आज दिनांक–15 / 04 / 2014 ई0 मसौदा *घनश्याम सिंह सैंगर*, एडवोकेट, चै0न0–68, तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद।

GHANSHYAM SINGH SAINGER
ADVOCATE
Regd. No. [illegible]
Ch. No. 68 Tehsil [illegible]
GHAZIA[illegible]